

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(ख) के अन्तर्गत
आबकारी विभाग से सम्बन्धित 16 बिन्दुओं पर लोक प्राधिकारियों से
अपेक्षित सूचनाओं का विवरण

(13) अपने द्वारा मंजूर की गई रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारों के प्राप्त कर्ताओं का विवरण :-

सैन्य बलों को उपलब्ध करायी जाने वाली मदिरा पर सिविल के सापेक्ष 50 प्रतिशत की दर से प्रतिफल फीस अधिरोपित की जाती है।